


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

गुण्डाजी वनाम अर्पण

मुकदमा नं सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयइनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>8-12-15. वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी आप.प्र.023 है। पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते... पत्रायली दिनांक 9-2-16 को पेश हो।</p> <p>9-2-16 वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य रूक गित है। पेश किया, नकल दिलाई गई। वास्ते... दिनांक 5-4-16 को पेश हो।</p> <p>5/4/16 वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी ... है। पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते... पत्रायली दिनांक... को पेश हो।</p>	
13/5 16	<p>पत्रायली शहर का एक अदालत/कैम्प फोर्ट गाठ को लोहरी में पेश हुई। उभय पक्षकानन उपस्थित। बाद समझौदा शर्तोंसाथ पेश किया। तबसे कर शर्तों पत्रायली हैं। शर्तों के अनुसार बाद आशिक रबीकर किया गया। तबसे कर शर्तों के अनुसार करी हो, बिनादि आशिक कर करी करे। बिनादि व दिष्टी। आशिक से शर्त पत्रायली हैं। पत्रायली बिनादि शर्तों आशिक कर करे।</p>	 <p>फि. जे.पत</p>

आशिक एवं उप खण्ड अधिकारी
अदालत (रामगढ़) अलवर

पुस्तक :-
उभय पक्षकानन शहर का कैम्प फोर्ट
गाठ को लोहरी में पुस्तक उपस्थित हुए

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मयइनिशियल्स जज

पुनः निर्देश किया कि हथ दाबे में फोड कार्यवाही नहीं चाहते। राजीनामे में भी अंतिम किया। राजीनामे के आधार पर बाद में रिपोर्ट में खारिज किया गया है। पत्रवाली निर्णय शुभकर रूप खारिज कर दी है।



सदस्य

लोक अदालत

रामगढ (अ. नं. १) राजगढ

अध्यक्ष एवं सखण्ड अधिकारी
लोक अदालत (रामगढ) अलवर